(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 16 दिसंबर, 2015

आय-कर

सा. का. नि. 978(अ).-- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा धारा 295 के साथ पठित की धारा 195 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय–कर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, **2015** है ।
(2) ये राजपत्र में प्रथम अप्रैल, 2016 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 37खख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"37खख : किसी अनिवासी, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय हेतु सुचना देना.- (1) किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को अधिनियम के उपबंधो के अधीन प्रभार्य किसी रकम का संदाय करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी देगा, अर्थात् :-

(i) प्ररूप 15गक के भाग क में जानकारी, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए, यथास्थिति संदाय की रकम या ऐसे संदायो का कुल योग पांच लाख रूपये से अनधिक न हो ;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट संदायो से अन्यथा संदायो के लिए, जानकारी, -

(क) प्ररूप संख्या 15गक के भाग ख में निम्नलिखित को अभिप्रात करने के पश्चात,-

(I) धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी से प्रमाण पत्र ; या

(II) धारा 195 की उपधारा (2) या उपधारा (3) की अधीन निर्धारण अधिकारी से आदेश ;

(ख) प्ररूप संख्या 15गक के भाग ग में, धारा 288 की उपधारा 2 के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार से प्ररूप संख्या 15गख में प्रमाण पत्र अभिप्रात करने के पश्चात।

(2) किसी अनिवासी को, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को अधिनियम के उपबंधो के अधीन अप्रभार्य किसी रकम का संदाय करने हेतु उत्तरदायी व्यक्ति निम्नलिखित जानकारी पारूप संख्या 15गक के भाग घ में देगा ।

(3) उपनियम (2) में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रकम, जो अधिनियम के उपबंधो के अधीन प्रभार्र नहीं है के लिए कोई जानकारी देना अपेक्षित नहीं है, यदि, -

(i) विप्रेषण किसी व्यष्टि द्वारा किया गया है और उसके लिए विदेशी विनिमय (चालू लेखा संव्यवहार) नियम, 2000 की अनुसूची III के साथ पठित विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999(42) की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार भारतीय रिर्जव बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है : या

(ii) विप्रेषण नीचे विनिर्दिष्ट सूची के संतभं तीन में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है :

विनिर्दिष्ट सूची

क्रम सं.	आरबीआई के अनुसार प्रयोजन कोड	संदाय की प्रकृति
(1)	(2)	(3)
1	एस0001	विदेश में भारतीय विनिधान- साधारण पुंजी(शेयरों) में
2	एस0002	विदेश में भारतीय विनिधान- ऋण प्रतिभूतियों में
3	एस0003	विदेश में भारतीय विनिधान- शाखाओं और पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगियों में
4	एस0004	विदेश में भारतीय विनिधान- समनुषंगियों और सहयुक्तों में
5	एस0005	विदेश में भारतीय विनिधान- स्थावर संपदा में
6	एस0011	अनिवासीयों को विस्तारित ऋण
7	एस0101	आयातों के विरूद अग्रिम संदाय
8	एस0102	बीजक के आयात निपटान हेतु संदाय
9	एस0103	राजनयिक मिशनों द्वारा आयात
10	एस0104	मध्यवर्ती व्यापार
11	एस0190	5,00,000 रूपये से कम आयात (ईसीडी अधिकारियों द्वारा उपयोग हेतु)
12	एस0202	विदेश में प्रचालित भारतीय जहाजरानी कंपनियों के प्रचालन व्ययों का संदाय
13	एस0208	विदेश में प्रचालित भारतीय हवाई कंपनियों के प्रचालन व्यय
14	एस0212	विदेश में मार्ग का आरक्षण- हवाई कंपनिया
15	एस0301	व्यवसाय यात्रा हेतु विप्रेषण

16	एस0302	आधारभूत यात्रा कोटा (बीटीक्यू) के अधीन यात्रा
17	एस0303	तीर्थ यात्रा हेतु यात्रा
18	एस0304	चिकित्सा उपचार हेतु यात्रा
19	एस0305	शिक्षा(जिसके अंतर्गत फीस, छात्रावास व्यय इत्यादि है) हेतु यात्रा
20	एस0401	डाक सेवाएं
21	एस0501	भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में परियोजनाओं का निर्माण, जिनके अंतर्गत प्रयोजना स्थल पर माल का आयात है
22	एस0602	माल-भाड़ा बीमा- माल के आयात और निर्यात संबंधी
23	एस1011	विदेश में कार्यालयों के अनुरक्षण हेतु संदाय
24	एस1201	विदेश में भारतीय राजदूतावासों का अनुरक्षण
25	एस1202	भारत में विदेशी राजदूतावासों द्वारा विप्रेषण
26	एस1301	अनिवासीयों द्वारा कुटंभ भरण पोषण और बचत हेतु विप्रेषण
27	एस1302	व्यक्तिगत दान और संदान हेतु विप्रेषण
28	एस1303	विदेश में धार्मिक और पूर्त संस्थाओं को संदान हेतु विप्रेषण
29	एस1304	अन्य सरकारों और सरकारों द्वारा स्थापित पूर्त संस्थाओं को अनुंदान और संदानो हेतु विप्रेषण
30	एस1305	सरकार द्वारा अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं को अभिदान या संदान
31	एस1306	करों के संदाय या प्रतिदाय हेतु विप्रेषण
32	एस1501	निर्यात के कारण बीजक मूल्य में प्रतिदाय या रिबेट या घटाना
33	एस1503	निवासीयों द्वारा अंर्तराष्ट्री बोली लगाने हेतु संदाय

4. प्ररूप संख्या 15गक में जानकारी,-

(i) उपनियम (8) के अधीन प्रधान महा निदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन इल्कट्रोनिक रूप में दी जाएगी और उसके पश्चात उक्त प्ररूप का मुद्रित रूप, संदाय के विप्रेषण के पूर्व, प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत की जाएगी ; या

(ii) उपनियम (8) के अधीन प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार इल्कट्रोनिक रूप में दी जाएगी और उसके पश्चात उक्त प्ररूप का मुद्रित रूप, संदाय के विप्रेषण से पूर्व, प्राधिकृत व्यौहारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(5) आयकर प्राधिकारी, अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए उपनियम (4) के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्ररूप संख्या 15गक के हस्ताक्षरित मुद्रित प्ररूप को प्राधिकृत व्यौहारी से देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(6) प्ररूप 15गक में प्रमाण-पत्र उपनियम (8) के अधीन प्रधान महानिदेशक आयकर(प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार इल्कट्रोनिक रूप में दिया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा ।

(7) प्राधिकृत व्यौहारी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही के लिए प्ररूप 15गग मे एक त्रैमासिक विवरण प्रधान महानिदेशक आयकर(प्रणाली) या प्रधान महा निदेशक आयकर(प्रणाली) द्वारा इल्कट्रोनिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसा विवरण संबधित है, की तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर, उपनियम (8) के अधीन प्रधान महानिदेशक आयकर(प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियों, प्ररूपों और मानकों के अनुसार देगा ।

(8) प्रधान महानिदेशक आयकर (प्रणाली) प्ररूप 15गख, प्ररूप 15गग को देने और सत्यापन हेतु प्रक्रियाएं, प्ररूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (4), (6), (7) के उपबंधों के अनुसार सुचना, प्रमाण पत्र और त्रैमासिक विवरण देने और सत्यापित करने के सबंध में दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए 'प्राधिकृत व्यौहारी' से विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन प्राधिकृत व्यौहारी के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट-ii में, प्ररूप संख्या 15गक और प्ररूप संख्या 15गख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएगे, अर्थात :-

आयकर विभाग	"प्ररूप संख्या 15गक (नियम 37खख देखें) **किसी अनिवासी, जो कोई कंपनी न हो, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय हेतु दी जाने वाली जानकारी**	**अभिस्वीकृति संख्या**

भाग क

(यदि अधिनियम के उपबंधो के अधीन विप्रेषण पर कर प्रभार्य और, यथास्थिति, विप्रेषण या ऐसे प्रेषणों का कुल योग वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रूपये से अनधिक हो तो भरा जाए)

विविप्रेषणकर्ता	विविप्रेषणकर्ता का नाम	
	विविप्रेषणकर्ता का पीएएन (यदि उपलब्ध हो)	
	विविप्रेषणकर्ता का टीएएन (यदि उपलब्ध हो)	
	विविप्रेषणकर्ता का पूरा पता, ई-मेल, और दूरभाष संख्या	
	विविप्रेषणकर्ता की हैसियत[1]	
	विविप्रेषणकर्ता की आवसीय हैसियत[2]	
प्रेषिती	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम	
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पीएएन (यदि उपलब्ध हो)[3]	
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल[4], दूरभाष संख्या[5]	
	जिस देश को विप्रेषण किया गया है	
विप्रेषण	टीडीएस (भारतीय मुद्रा में) से पूर्व संदय रकम	
	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रेषणों की कुल रकम, जिसके अंतर्गत ये प्रस्तावित विप्रेषण है	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम	
	विप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	
	विप्रेषण की प्रकृति	
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कोड़ दे	
	टीडीएस की रकम	
	टीडीएस की दर	
	कटौती की तारीख	

सत्यापन

मैं/हम* .... (साफ अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री .... (पदनाम) की हैसियत से, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर दि गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी

और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है । मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विप्रेषण के प्राप्त करता की आय की प्रकृति और रकम के साथ स्रोत पर आयकर अधिनियम के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में मेरे दायित्व का अवधारण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अवधारित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का और वचनबधं करता हूँ/करते हैं ।

....

अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :

....

अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

तारीख :

* जो लागू न हो उसे काट दे।

[1] यदि कंपनी हो तो 1, यदि फर्म हो तो 2, यदि व्यष्टि हो तो 3 और यदि अन्य हो तो 4 लिखें ।

[2] कंपनी की दशा में, यदि देशीय कंपनी हो तो1, यदि विदेशी कंपनी, कंपनी से अन्यथा व्यक्ति की दशा में हो तो 2, यदि निवासी है तो 3, यदि अनिवासी हो तो 4 लिखें ।

[3] पीएएन की अनुपलब्धता की दशा में, धारा 206कक के उपबंध लागू होगें ।

[4] यदि उपलब्ध हो ।

[5] यदि उपलब्ध हो ।

भाग ख

(यदि अधिनियम के उपबंधो के अधीन विप्रेषण पर कर प्रभार्य और, यथास्थिति, विप्रेषण या ऐसे प्रेषणों का कुल योग वित्तीय वर्ष के दौरान पांच लाख रूपये से अनधिक हो और आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई आदेश/प्रमाणपत्र निर्धारण अधिकारी से अभिप्राप्त किया गया हो, तो भरा जाए)

विविप्रेषणकर्ता	विविप्रेषणकर्ता का नाम			
	विविप्रेषणकर्ता का पीएएन			
	विविप्रेषणकर्ता का टीएएन[1]			
	विविप्रेषणकर्ता का पूरा पता, ई-मेल, और दूरभाष संख्या			
	विविप्रेषणकर्ता की हैसियत[2]			
	विविप्रेषणकर्ता की आवसीय हैसियत[3]			
प्रेषिती	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का नाम			
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पीएएन (यदि उपलब्ध हो)[4]			
	विप्रेषण के प्राप्तकर्ता का पूरा पता, ई-मेल[5], दूरभाष संख्या[6]			
ए.ओ. आदेश	धारा जिसके अधीन आदेश/प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है			
	निर्धारण अधिकारी जिसमें आदेश/प्रमाणपत्र जारी किया है, का नाम और पता			
	आदेश/प्रमाणपत्र की तारीख			
	आदेश/प्रमाणपत्र संख्या			
विप्रेषण	जिस देश को विप्रेषण किया गया है		देश :	मुद्रा :
	संदेय रकम		विदेशी मुद्रा में :	भारतीय रूपये में
	बैंक का नाम		बैंक की शाखा	
	बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंको में)			(दद/मम/वववव)
	विप्रेषण की प्रस्तावित तारीख			
	करार करार दस्तावेज के अनुसार विप्रेषण की प्रकृति			
	कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन को दे			
	टीडीएस की रकम			
	टीडीएस की दर			
	कटौती की तारीख			

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम* .... (साफ अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री .... (पदनाम) की हैसयित से, सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर दि गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी सुसंगत जानकारी छिपाई नहीं गई है । मैं/हम* प्रमाणित करता हू/करते है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(2)/195(3)/197 के अधीन कोई प्रमाणपत्र/आदेश, जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई है, अभिप्राप्त किया गया है । मैं/हम* आयकर

प्राधिकारियों को उपरोक्त विप्रेषण के प्राप्त करता की आय की प्रकृति और रकम के साथ स्रोत पर आयकर अधिनियम के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में मेरे दायित्व का अवधारण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को अवधारित करने के लिए आयकर प्राधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का और वचनबधं करता हूँ/करते हैं ।

....

अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :

....

अनिवासी को संदाय हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दे।

[1] यदि टीएएन के लिए आवेदन किया गया है, तो कृपया आवेदन की अभिस्वीकृति संख्या दें ।

[2] यदि कंपनी है तो 1, यदि फर्म है तो 2, यदि व्यष्टि है तो 3, और यदि अन्य है तो 4 लिखें ।

[3] कंपनी की दशा में, यदि देशीय कंपनी हो तो1, यदि विदेशी कंपनी, कंपनी से अन्यथा व्यक्ति की दशा में हो तो 2, यदि निवासी है तो 3, यदि अनिवासी हो तो 4 लिखें ।

[4] पीएएन की अनुपलब्धता की दशा में, धारा 206कक के उपबंध लागू होगें ।

[5] यदि उपलब्ध हो ।

[6] यदि उपलब्ध हो ।

भाग ग

(भरा जाना है, यदि विप्रेषणादेश आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है और यथास्थिति, विप्रेषणादेश या ऐसे विप्रेषणादेशों का समग्र वित्त वर्ष के दौरान पांच लाख रुपए से अधिक हो जाता है तथा धारा 228 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथाविनिर्दिष्ट किसी लेखाकार से प्ररूप सं. 15गख में एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है)

भाग क	**साधारण सूचना**			
	विप्रेषणाकर्ता का नाम			
विप्रेषणाकर्ता	विप्रेषणाकर्ता का पैन	क्षेत्र कूट	एओ किस्म	रेंज कूट / एओ सं.
	कारबार का प्रधान स्थान	विप्रेषणाकर्ता का टेन[1]		
	विप्रेषणाकर्ता का पूरा पता, ई-मेल और फोन नंबर			
	प्रास्थिति[2] ☐	विप्रेषणाकर्ता की आवासीय प्रास्थिति[3] ☐		
विप्रेषणाकर्ता	विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का नाम		विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का[4]	
	प्रास्थिति[5] ☐			
	पता		वह देश, जिसको विविप्रेषण किया गया :	
	कारबार का प्रधान स्थान	ई-मेल पता	(आईएसडी कूट)-फोन नंबर ( )	
लेखाकार	(क)	प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लेखाकार का नाम[6]		
	(ख)	स्वत्वधारी/फर्म के लेखाकार का नाम		
	(ग)	पता		
	(घ)	लेखाकार का रजिस्ट्रीकरण सं.		
	(ङ)	जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रमाणपत्र सं.[7]	
ए.ओ. आदेश	(क)	क्या निर्धारण अधिकारी से आयकर अधिनियम की धारा 195(2)/ 195(3)/197 के अधीन कोई आदेश अभिप्राप्त किया गया है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
	(ख)	धारा, जिसके अधीन आदेश/प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है		
	(ग)	उस निर्धारण अधिकारी का नाम और पदनाम,		

		जिसने आदेश/प्रमाणपत्र जारी किया है		
	(घ)	आदेश/प्रमाणपत्र की तारीख		
	(ङ)	आदेश/प्रमाणपत्र संख्या		
भाग ख		विविप्रेषण और टीडीएस की विशिष्टियां (लेखकार के प्रमाणपत्र के अनुसार)		
विविप्रेषण	1.	वह देश, जिसको विविप्रेषण किया गया है	देशः	मुद्राः
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :	भारतीय रुपए में
	3.	बैंक का नाम	बैंक की शाखा	
	4.	बैंक शाखा का बीआर कूट (7 अंक)	☐☐☐☐☐☐☐	
	5.	विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	
	6	करार/दस्तावेज के अनुसार विविप्रेषण की प्रकृति		
	7.	आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कूट		
	8.	विविप्रेषण के करों का कुल होने की दशा में क्या संदेय कर को सकल किया गया है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
आयकर अधिनियम	9.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर देयता (डीटीएए पर विचार किए बिना)		
		(क) अधिनियम की सुसंगत धारा, जिसके अधीन विविप्रेषण आता है		
		(ख) कर से प्रभार्य आय की रकम		
		(ग) कर दायित्व		
		(घ) करादेय आय और कर दायित्व के अवधारण का आधार		
डीटीएए	10.	यदि अनुतोष का डीटीएए के अधीन दावा किया गया है तो- (i) क्या विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता से निवास का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
		(ii) कृपया सुसंगत डीटीएए को विनिर्दिष्ट करें		
		(iii) कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करें	डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति	
		(iv) डीटीएए के अनुसार करादेय आय	भारतीय रुपए में	

		(v) डीटीएए कर दायित्व	भारतीय रुपए में	
		अ. यदि विविप्रेषण स्वामिस्व तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि के विविप्रेषण (स्थायी स्थापना से असंबद्ध) के लिए है तो कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
		(क) डीटीएए का अनुच्छेद		
		(ख) लागू डीटीएए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	डीटीएए के अनुसार (%)	
		आ. विविप्रेषण के कारबार आय के लेखें होने की दशा में कृपया इंगित करें :-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
		(क) भारत में कर से दायी आय की रकम		
		(ख) कर की कटौती की दर निश्चित करने का आधार		
		इ. पूंजी अभिलाभों के लेखें विविप्रेषण की दशा में कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
		(क) दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ की रकम		
		(ख) लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की रकम		
		(ग) कराधेय आय निश्चित करने का आधार		
		ई. अन्य विविप्रेषण की दशा में, जो उपमद अ, आ और इ के अधीन नहीं आता है	(निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
		(क) कृपया विविप्रेषण की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें		
		(ख) क्या डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय है		
		(ग) यदि हां, लागू डीटीएए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए		

		जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर		
		(घ) यदि नहीं तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करें		
टीडीएस	11.	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	विदेशी मुद्रा में	
			भारतीय रुपए में	
	12.	टीडीएस की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%) या डीटीएए के अनुसार (%)	
	13.	टीडीएस के पश्चात् विविप्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
	14.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हों	(दिन/मास/वर्ष)	

सत्यापन

1. मैं/हम*...................... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) .... पुत्र/पुत्री .... की क्षमता में (पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा किसी सुसंगत सूचना को छिपाया नहीं गया है । मैं/हम* प्रमाणित करते हैं कि लेखाकार से एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है जिसकी विशिष्टियां इस प्ररूप में दी गई हैं जो स्रोत पर कर कटौती की रकम, प्रकृति और शुद्धता को प्रमाणित करता है । जहां यह पाया गया है कि विविप्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती किए जाने वाले कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती किए जाने के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूर्णतया संदत्त नहीं किया गया है, मैं/हम* उक्त व्यतिक्रम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का भी दायी होंगे । मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विविप्रेषण के प्राप्तिकर्त्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को स्रोत पर कर की कटौती के उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का भी वचनबंध करते हैं ।

....

स्थान : अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

....

तारीख : अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

*जो लागू न हो उसका लोप कर दें ।

[1]टीएएन के लिए आवेदन करने की दशा में कृपया आवेदन की अभिस्वीकृति संख्या प्रस्तुत करें ।

[2]यदि कंपनी है तो 1 लिखें, फर्म हैं तो 2 लिखें, व्यष्टिक है तो 3 लिखें और अन्य के लिए 4 लिखें ।

[3]कंपनी की दशा में घरेलू कंपनी की दशा में 1 लिखें, विदेशी कंपनी के लिए 2 लिखें, कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में 3 लिखें, निवासी है तो 4 लिखें और अनिवासी की दशा में 5 लिखें ।

[4] पैन की अनउपलब्धता की दशा में धारा 206कक के उपबंध लागू होंगे ।

[5] कंपनी की दशा में 1 लिखें, फर्म की दशा में 2 लिखें, व्यष्टि की दशा में 3 लिखें और अन्य की दशा में 4 लिखें ।

[6] लेखाकार का वहीं अर्थ होगा, जो उसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है ।

[7] कृपया क्रम सं. को लेखकार के प्रमाणपत्र में यथावर्णित भरें ।

भाग घ

[भरा जाना है, यदि विविप्रेषण नियम 37खख(2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्‌वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन (नियम 37खख(3) में निर्दिष्ट संदाय से भिन्न) कर से प्रभार्य नहीं है]

<table>
<tr><td rowspan="6">विप्रेषणकर्ता</td><td colspan="4">विविप्रेषणकर्ता का नाम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">प्रेषिती का पैन, यदि उपलब्ध हो</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">प्रेषिती का टेन, यदि उपलब्ध हो</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">विप्रेषिती का पूरा पता, ई-मेल और फोन नंबर</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">विप्रेषिती की प्रास्थिति[1]</td><td colspan="4">☐</td></tr>
<tr><td colspan="4">विप्रेषिती की आवासीय प्रास्थिति[2]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">प्रेषिती</td><td colspan="4">विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का नाम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का पैन, यदि उपलब्ध हो</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता का पूरा पता ई-मेल[3] और फोन नंबर[4]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>वह देश जहां विविप्रेषण किया गया है</td><td colspan="3">देश:</td><td colspan="4">मुद्रा:</td></tr>
<tr><td colspan="4">वह देश, जिसका विविप्रेषण का प्राप्तिकर्ता निवासी है, यदि उपलब्ध हो</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">विविप्रेषण</td><td>संदेय रकम</td><td colspan="3">विदेशी मुद्रा में :</td><td colspan="4">भारतीय रुपए में</td></tr>
<tr><td>बैंक का नाम</td><td colspan="7">बैंक की शाखा का नाम</td></tr>
<tr><td>बैंक शाखा का बीएसआर कोड (7 अंक)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख</td><td colspan="7">(दिन/मास/वर्ष)</td></tr>
<tr><td colspan="5">विविप्रेषण की प्रकृति</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">कृपया आरबीआई के अनुसार सुसंगत प्रयोजन कूट प्रस्तुत करें</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऊपर दिया गया विविप्रेषण आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य नहीं है और स्रोत पर कर की कटौती करने का दायी नहीं है ।

<u>सत्यापन</u>

1. मैं/हम*........................ (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) .... पुत्र/पुत्री .... की क्षमता में (पदनाम) सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा किसी सुसंगत सूचना को छिपाया नहीं गया है । जहां यह पाया गया है कि विविप्रेषण की रकम पर वास्तव में कटौती किए जाने वाले कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती किए जाने के पश्चात् संदत्त नहीं किया गया है या पूर्णतया संदत्त नहीं किया गया है, मैं/हम*

उक्त व्यतिक्रम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार शास्ति का भी दायी होंगे । मैं/हम* आयकर प्राधिकारियों को उपरोक्त विविप्रेषण के प्राप्तिकर्त्ता की आय की प्रकृति और रकम का अवधारण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मेरे/हमारे दायित्व का अवधारण करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को स्रोत पर कर की कटौती के उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का भी वचनबंध करते हैं ।

....

स्थान : अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

....

तारीख : अनिवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

*जो लागू न हो उसका लोप कर दें ।

[1] यदि कंपनी है तो 1 लिखें, फर्म हैं तो 2 लिखें, व्यष्टिक है तो 3 लिखें और अन्य के लिए 4 लिखें ।
[2] कंपनी की दशा में घरेलू कंपनी की दशा में 1 लिखें, विदेशी कंपनी के लिए 2 लिखें, कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में 3 लिखें, निवासी है तो 4 लिखें और अनिवासी की दशा में 5 लिखें ।
[3] यदि उपलब्ध ।
[4] यदि उपलब्ध ।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए	केवल कार्यालय उपयोग के लिए प्राप्ति संख्या तारीख प्राप्त करने वाले अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 15गख

(देखे नियम 37खख)

लेखाकार का प्रमाणपत्र[1]

मैंने/हमने* श्री/सुश्री/मैसर्स*.......................... (विप्रेषणकर्ता) और श्री/सुश्री/मैसर्स*.......................... (फायदाग्राही) के बीच (जहां लागू हों) करार की जांच कर ली है, जिसमें पूर्वोक्त विविप्रेषण के साथ सुसंगत दस्तावेजों की अपेक्षा और विविप्रेषण की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए और अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती का अवधारण करने के लिए लेखा बहियों की अपेक्षा है ।

हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं :-

अ	विविप्रेषण के फायदाग्राही का नाम और पता			
आ	1.	वह देश, जिसमें विविप्रेषण किया गया है	देश :	मुद्राः
	2.	संदेय रकम	विदेशी मुद्रा में :	(दिन/मास/वर्ष)
	3.	बैंक का नाम		बैंक की शाखा
	4.	बैंक शाखा का बीआर कूट (7 अंक)		
	5.	विविप्रेषण की प्रस्तावित तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	
	6	करार/दस्तावेज के अनुसार विविप्रेषण की प्रकृति		
	7.	यदि विविप्रेषण, करों का योग है तो क्या कर संदाय को सकलित किया गया है	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	
	8.	आयकर अधिनियम के उपबंधों के अधीन करध्येता (डीटीएए पर विचार किए बिना) (i) क्या विविप्रेषण भारत में कर से प्रभार्य है	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	
		(ii) यदि नहीं हो उसके कारण		
		(iii) यदि हां, (क) अधिनियम की सुसंगत धारा, जिसके अधीन विविप्रेषण आता है		
		(ख) कर से प्रभार्य आय की रकम		
		(ग) कर दायित्व		
		(घ) कराधेय आय और कर दायित्व का अवधारण करने का आधार		

	9.	यदि आय भारत में कर से प्रभार्य है और क्या डीटीएए के अधीन किसी अनुतोष का दावा किया गया है-- (i) क्या निवासी प्रमाणपत्र विविप्रेषण के प्राप्तिकर्ता से अभिप्राप्त किया गया है	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	
		(ii) कृपया सुसंगत डीटीएए विनिर्दिष्ट करें		
		(ii) कृपया डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करें	डीटीएए के अनुसार संदाय की प्रकृति	
		(iii) डीटीएए के अनुसार कराधेय आय	भारतीय रुपए में	
		(iv) डीटीएए के अनुसार कर दायित्व	भारतीय रुपए में	
		अ. यदि विविप्रेषण स्वामिस्व तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज, लाभांश आदि के विविप्रेषण (स्थायी स्थापना से असंबद्ध) के लिए है तो कृपया इंगित करें:-	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	
		(क) डीटीएए का अनुच्छेद		
		(ख) लागू डीटीएए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर	डीटीएए के अनुसार (%)	
		आ. विविप्रेषण के कारबार आय के लेखें होने की दशा में कृपया इंगित करें :-	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	
		(क) क्या भारत में ऐसी आय कर की दायी है	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	
		(ख) यदि हां, कर की कटौती की दर निश्चित करने का आधार		
		(ग) यदि नहीं, तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करें		
		इ. पूंजी अभिलाभों के लेखें	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	

	विविप्रेषण की दशा में कृपया इंगित करें:-		
	(क) दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ की रकम		
	(ख) लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की रकम		
	(ग) कराधेय आय निश्चित करने का आधार		
	ई. अन्य विविप्रेषण की दशा में, जो उपमद अ, आ और इ के अधीन नहीं आता है	(निशान लगाएं)☐ हां ☐ नहीं	
	(क) कृपया विविप्रेषण की प्रकृति विनिर्दिष्ट करें		
	(ख) क्या डीटीएए के अनुसार भारत में कराधेय है		
	(ग) यदि हां, लागू डीटीएए के ऐसे अनुच्छेद के निबंधनों में कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित टीडीएस की दर		
	(घ) यदि नहीं तो कृपया डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद को विनिर्दिष्ट करते हुए उसके संक्षिप्त कारण प्रस्तुत करें		
10.	टीडीएस की रकम	विदेशी मुद्रा में	
		भारतीय रुपए में	
11	टीडीएस की दर	आयकर अधिनियम के अनुसार (%) या डीटीएए के अनुसार (%)	
12	टीडीएस के पश्चात् विविप्रेषण की वास्तविक रकम	विदेशी मुद्रा में	
13.	स्रोत पर कर कटौती की तारीख, यदि कोई हों	(दिन/मास/वर्ष)	

प्रमाणपत्र सं.[2]

हस्ताक्षर :

नाम :

स्वत्वधारी/फर्म का नाम:

पता :

रजिस्ट्रेशन संख्या:

[1.] किसी लेखाकार, (कर्मचारी से भिन्न) जैसा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में है द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाना है, ।

[2.] प्रमाणपत्र सं. 1 आतंरिक संख्या है, जो लेखाकार द्वारा दी जाएगी ।

*जो लागू न हो उसका लोप कर दें".

प्ररूप सं. 15गग

(देखें नियम 37खख)

प्राधिकृत व्यौहारी द्वारा .... (वित्त वर्ष) की .... तिमाही के लिए किए गए विविप्रेषण के संबंध में प्रस्तुत तिमाही विवरण

1. प्राधिकृत व्यौहारी का नाम और पता: ....

2. स्थायी लेखा सं. : ....

3. किए गए विविप्रेषण के ब्यौरे :

क्रम सं.	विविप्रेषणकर्ता का नाम	विविप्रेषणकर्ता का पैन	प्रेषिती का नाम	प्रेषिती का पैन, यदि उपलब्ध हो	विविप्रेषण की रकम	विविप्रेषण की तारीख	वह देश, जिसको विविप्रेषण किया गया है	आरबीआई के अनुसार प्रयोजन कूट

सत्यापन

मैं ....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम), पुत्र/पुत्री .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है ।

स्थान ....   हस्ताक्षर ....

तारीख ....   नाम और पदनाम ....".

[अधिसूचना सं.93/2015 फा.सं.133/41/2015-टीपीएल]

(पिताम्बर दास)
निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण :-- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ.3357(अ) तारीख 11 दिसंबर, 2015 द्वारा किया गया था ।